

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20012025-260332
SG-DL-E-20012025-260332असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2025/पौष 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 342
No. 24]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2025/PAUSHA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 342

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जनवरी, 2025

फा सं 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011-12/2466-2485—दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-10, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10, पी-10ए तथा पी-13 लाइसेंसधारी जिनकी खुदरा दुकानें/परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव के कारण दिनांक 3 फरवरी, 2025 को सायं 6:00 बजे से दिनांक 5 फरवरी, 2025 को सायं 6:00 तक (मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान) तथा पुनः मतगणना दिवस होने के कारण दिनांक 8 फरवरी, 2025 (पूरा दिन) को "शुष्क दिवस" (झाड़ डे) माना जाएगा।

उपर्युक्त शुष्क दिवसों के दौरान निम्नलिखित का पालन किया जाएगा:—

किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।

गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि तथा किसी के द्वारा संचालित होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

रवि झा, आयुक्त (आबकारी)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. AND LUXURY TAX L & N NOTIFICATION

Delhi, the 15th January, 2025

No. F.10(210)/EX./IMFL/2011-12/2466-2485—In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that “Dry Days” shall be observed (during 48 hours ending with hour fixed for conclusion of poll) **from 06:00 PM of 3rd February, 2025 to 06:00 PM of 5th of February, 2025 and again on 8th February, 2025 (Full Day)** being the Counting day on account of General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2025 by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-10, L-12, L-12F, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10, P-10A and P-13 Licensees whose retail vends/premises are situated in the National Capital Territory of Delhi.

During the above mentioned Dry Days the following shall be adhered:-

No liquor shops, hotels, restaurants, clubs and establishments selling/serving liquor, shall be permitted to sell/serve liquor to any one whosoever.

Non-proprietary clubs, star Hotels, restaurants, etc., and Hotels run by anyone even if they are issued different categories of licenses for possession and supply of liquor, should also not be permitted to serve liquor.

RAVI JHA, Commissioner (Excise)